upsidc

कार्यालयः क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0रा0औ0वि0 प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन,ई0पी0आई0पी0 कासना
सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।

62

संख्या 506 /एसआईडीसी/आरएमएस/भवन मानचित्र दिनांक 04-05-12

M/s Aashiyana Promoter & Developers Pvt.Ltd.,
Shri Sanjay Kumar (Director)
A-10, Sector-50
Noida

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2012 के संदर्भ में आवासीय साईट–सी फेज–2 (विस्तार) सूरजपुर में भूखण्ड सं0 एच0आर0ए0–11 में आपके प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए प्रस्तुत मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तो(कन्डीशन) के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल भूखण्ड के पटटाविलेख में दिये गये निर्धारित समय/समयवृद्धि सीमा तक ही वैद्य होगा।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफैक्टेड) नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र विकास कार्य के लिए उपयुक्त नही होगा वहाँ शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
6. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर से बढाव (प्रोजेक्टेड) न हो।
7. बिजली लाईन के 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नही किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी के निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों, स्पेसिफिकेशन तथा नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन की स्वामित्व की जिम्मेदारी उद्यमी की होगी।
10. यदि मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा न0 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकार किये जाते है तो यह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रैम्प अथवा स्टैप्स नही बनाये जाये। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
12. भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व अग्नि शमन विभाग का स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
13. भवन निर्माण स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं भूकम्प रोधी मानको की ध्यान में रखते हुये IS code of Practice के अन्तर्गत आने वाली सभी शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
14. आवंटी द्वारा समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे कि प्रदूषण विभाग, एयरपोर्ट अथारिटी एवं पर्यावरण विभाग से प्राप्त कर 60 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
15. भवन उपयोग से पूर्व नियमानुसार कम्पलीशन प्लान पर स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।
16. रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करना होगा।

पर्यावरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति अधिनियम के अनुसार भूखण्ड पर पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर कार्य पूरा होने के प्रमाण प्राप्त करने के लिये आवेदन दें, जो कि उक्त पट्टा विलेख में निर्धारित समय के अन्तर्गत हो तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिये भवन को प्रयोग में न लाये।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0
सूरजपुर गेटर नोएडा

प्रतिलिपि – प्रभारी (ए.टी.पी.) उ0प्र0रा0औ0वि0नि0 कानपुर

संख्या........................../एसआईडीसी/आरएमएस/भवन मानचित्र दिनांक..........................

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0
सूरजपुर गेटर नोएडा